

EASTERN RAILWAY

No. E.897/0/Vol. IV

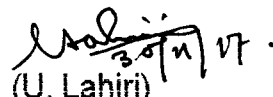
Kolkata, dated 30th November, 2017

All Concerned.

Sub: Applicability of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 to persons re-employed in Railway Service after retirement and whose pay is debitable to Railway Estimates.

A copy of Railway Board's letter No. E(G)2017/EM1-7 dated. 22.11.2017 (RBE No. 173/2017, PC-VII No. 78/2017) on the above mentioned subject is forwarded for information, guidance and necessary action. Board's earlier letters dated 21.01.1987, 12.12.2011 and 24.07.2013 mentioned therein were circulated under this office serial circular Nos. ~~56/87~~, 90/2012 and 120/2014 respectively..

DA: As above.


(U. Lahiri)

Dy. Chief Personnel Officer/ R
for P. Chief Personnel Officer

Index No. 1064: Applicability of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 to persons re-employed in Railway Service after retirement and whose pay is debitable to Railway Estimates..

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No.E(G)2017/EM 1-7

New Delhi, dated: 22.11.2017

The General Managers,
All Zonal Railways & PUs. etc.
(as per standard mailing list)

Sub: Applicability of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 to persons re-employed in Railway Service after retirement and whose pay is debitable to Railway Estimates.

The pay fixation of re-employed pensioners on re-employment in Railway Service, including that of Defence Forces personnel/officers, is regulated in accordance with Central Civil Services (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986, issued vide DoP&T's O.M.No.3/1/85-Estt.(Pay II) dated 31st July, 1986 (as revised from time to time). These orders were circulated to the Zonal Railways etc. vide Railway Board's letter No.E(G)86/EM1-8 dated 21.01.1987. In this connection, it is to be noted that persons re-employed in Railway Service after retirement have been expressly excluded from the purview of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 vide Rule 2(2)(vii) thereof. Therefore, the question of extension of the benefit of the revised pay rules to such re-employed persons and the procedure to be followed for fixing their pay in the revised pay structure has been considered by the Government. After due consideration, the President is pleased to decide that, in partial modification of the Rule 2(2)(vii) of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016, the provisions of these rules shall apply to such persons also who were in/came into re-employment on or after 1st January, 2016, subject to the orders hereinafter contained. This decision will cover all Railway servants re-employed in Railway Service (other than those employed on contract except where the contract provides otherwise), whether they have retired with or without a pension and/or gratuity or any other retirement benefits, e.g. contributory fund etc. from a civil post or from the Armed Forces.

2. Re-employed persons who become eligible to elect revised pay structure in accordance with these orders should exercise their option (in the manner laid down in Rule 5 and 6 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016) within three months of the date of issue of these orders. However, in cases where the existing scales of pay of the posts held by them were revised subsequent to the issue of these orders, said option should be within three months of the date of such orders for revision.

3. **Fixation/drawal of pay of Personnel/Officers re-employed prior to 01.01.2016 and who were in re-employment as on 01.01.2016:**

3(a) The initial pay of a re-employed Railway Servant who elects or is deemed to have elected to be governed by the revised pay structure from the 1st day of January, 2016 shall be fixed according to the provisions of Rule 7 of the R.S. (R.P.) Rules, 2016, if he/she is:

- (i) A Railway servant who retired without receiving a pension, gratuity or any other retirement benefit and
- (ii) A retired Railway servant who received pension or any other retirement benefits but which were ignored while fixing pay on re-employment.

3(b) The initial pay of a re-employed Railway servant who retired with a pension or any other retirement benefit and whose pay on re-employment was fixed with reference to these benefits or ignoring a part thereof, and who elects or is deemed to have elected to be governed by the revised structure from the 1st day of January, 2016 shall be fixed in accordance with the provisions contained in Rule 7 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016. Pension (excluding the ignorable portion of pension, if any), as defined in para 3(1) of RS (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986 which was circulated to the Railways vide Railway Board's letter No.E(G)1986/EM 1-8 dated 21.01.1987 admissible on relevant date, i.e. date of coming over to the revised pay structure, effective from 1.1.2016 or later, shall be deducted from his/her pay in accordance with the general policy of the Government on fixation and subsequent drawal of pay of re-employed pensioners.

3(c) In addition to the pay so fixed, the re-employed Railway servant would continue to draw the retirement benefits he/she was permitted to draw in the pre-revised scales, as modified based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, orders in respect of which have been issued separately by the Department of Pension & Pensioners' Welfare.

3(d) Where a re-employed Railway Servant elects to draw his/her pay in the existing pay structure and is brought over to revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2016, his/her pay from the later date in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of Rule 11 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.

4. Furthermore, the existing ceiling of Rs.80,000/- for drawal of pay plus gross pension on re-employment is enhanced to Rs.2,25,000/-, the maximum basic pay prescribed for Secretary to the Government of India under Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 or Railway Service (Revised Pay) Rules, 2016.

5. Ignorable part of Pension

The President is also pleased to enhance the ignorable part of pension from Rs.4000/- to Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand) in the case of Commissioned Service Officers and Civil Officers holding Group 'A' posts who retire before attaining the age of 55 years. The existing limits of civil and military pensions to be

ignored in fixing the pay of re-employed pensioners will, therefore, cease to be applicable to cases of such pensioners as are re-employed on or after 1.1.2016.

6. In the case of persons who were already on re-employment as on 01.01.2016, the pay may be fixed on the basis of these orders, with effect from the date of coming over to the new pay structure, i.e. 01.01.2016 or later, as per the option exercised by them in terms of para 2 above. In such case, their terms would be determined afresh as if they have been re-employed for the first time from such date of coming over to the new pay structure.

7. Fixation/drawal of pay of employees appointed on re-employment basis on or after 1st day of January, 2016

Pursuant to the introduction of the system of Pay Matrix vide the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016, the President is further pleased to amend the relevant provisions of RS (Fixation of Pay of re-employed Pensioners) Orders, 1986 which was circulated to the Railways etc. vide Railway Board's letter No. E(G)1986/EM1-8 dated 21.01.1987 in the manner indicated below: -

Existing provision	Revised provision
DoP&T's order dated 31.07.86 (circulated to Railways vide Railway Board's letter dated 21.01.1987) read with DoP&T's OM dated 5 th April 2010 (circulated to Railways vide Railway Board's letter No. E(G)2010/EM 1-2 (Pt.) dated 12.12.2011)	
Para 4(a): Re-employed pensioners shall be allowed to draw pay only in the prescribed pay scale/pay structure of the post in which they are re-employed. No protection of the scales of pay/pay structure of the post held by them prior to retirement shall be given. <u>Note:</u> Under the provisions of RS (RP) Rules, 2008, revised pay structure comprises the grade pay attached to the post and the applicable pay band.	Order 4(a): Re-employed pensioners shall be allowed to draw pay only in the Level in the revised pay structure applicable to the post in which they are re-employed. No protection of the scales of pay/pay structure of the post held by them prior to retirement shall be given. <u>Note:</u> Revised pay structure in relation to a post will be as defined in Rule 3(ix) of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.
Para 4(b)(i): In all cases where the pension is fully ignored, the initial pay on re-employment shall be fixed as per entry pay in the revised pay structure of the re-employed post applicable in the case of direct	Order 4(b)(i): In all cases where the pension is fully ignored, the initial pay on re-employment shall be fixed as per Rule 8 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.

recruits appointed on or after 1.1.2006 as notified vide Section II, Part A of First Schedule to RS (RP) Rules, 2008.	<u>Note 1:</u> The case where pension is fully ignored is given in Order 4 (d) below. <u>Note 2:</u> Pension is fully ignored means that pension is not deducted from pay.
Para 4(b)(ii): In cases where the entire pension and pensionary benefits are not ignored for pay fixation, the initial basic pay on re-employment shall be fixed at the same stage as the last basic pay drawn before retirement. However, he shall be granted the grade pay of the reemployed post. The maximum basic pay cannot exceed the grade pay of the reemployed post plus pay in the pay band of Rs.67000 i.e. the maximum of the pay band PB-4. In all these cases, the non-ignorable part of the pension shall be reduced from the pay so fixed. Illustration A Colonel who retired with basic pay of Rs.61700 (grade pay Rs.8700; pay in the pay band Rs.53000) is re-employed as a Deputy Secretary in an organization with grade pay of Rs.7600. In this case, on reemployment, his basic pay will continue to be Rs.61700. However, his grade pay on re-employment will be Rs.7600 and the pay in the pay band Rs.54100. Thereafter, the non-ignorable part of the pension will be reduced from the pay so fixed. <u>Note:</u> In the revised pay structure, basic pay is pay in the pay band plus the grade pay attached to the post.	Order 4(b)(ii): In cases where the entire pension and pensionary benefits are not ignored for pay fixation, the initial basic pay on re-employment shall be fixed at the same stage as the last basic pay drawn before retirement. If there is no such stage in the re-employed post, the pay shall be fixed at the stage next above that pay. If the maximum pay in the Level applicable to the post in which a pensioner is reemployed is less than the last basic pay drawn by him before retirement, his initial basic pay shall be fixed at such maximum pay of the re-employed post. Similarly, if the minimum pay in the Level applicable to the post in which a pensioner is reemployed is more than the last basic pay drawn by him before retirement, his initial basic pay shall be fixed at such minimum pay of the re-employed post. However, in all these cases, the non-ignorable part of the pension shall be reduced from the pay so fixed. <u>Note 1:</u> Revised pay structure in relation to a post will be as defined in Rule 3(ix) of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016. <u>Note 2:</u> "Basic Pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix. <u>Note 3:</u> Last pay drawn shall be as per definition of pre-retirement pay in terms of Order 3 of the RS (Fixation of Pay of re-employed Pensioners) Orders, 1986, (circulated to Railway vide Board's letter No. E(G)86/EM 1-8 dated 21.01.1987) read with DoPT OM No. 3/19/2009-Estt.(Pay-II) dated 8th

	November 2010 (circulated to Railway vide Board's letter No. E(G)2013/EM 1-4 dated 24.07.2013.
Para 4(c): The re-employed pensioner will, in addition to pay as fixed under Para (b) above shall be permitted to draw separately any pension sanctioned to him and to retain any other form of retirement benefits.	Order 4(c): No change
Para 4(d): In the case of persons retiring before attaining the age of 55 years and who are re-employed, pension (including PEG and other forms of retirement benefits) shall be ignored for initial pay fixation in the following extent:- (i) In the case of ex-servicemen who held posts below Commissioned Officer rank in the Defence Forces and in the case of civilians who held posts below Group 'A' posts at the time of their retirement, the entire pension and pension equivalent of retirement benefits shall be ignored. (ii) In the case of Commissioned Service officers belonging to the Defence Forces and Civilian pensioners who held Group 'A' posts at the time of their retirement, the first Rs.4000/- of the pension and pension equivalent retirement benefits shall be ignored.	Order 4(d): In the case of persons retiring before attaining the age of 55 years and who are re-employed, pension (including PEG and other forms of retirement benefits) shall be ignored for pay fixation to the following extent:- (i) No change (ii) In the case of Commissioned service officers belonging to the Defence Forces and Civilian pensioners who held Group 'A' posts at the time of their retirement, the first Rs. 15,000/- of the pension and pension equivalent retirement benefits shall be ignored.

8. Apart from the above, it is also clarified as under: -

(i) **Drawal of increments:** Once the initial pay of the re-employed pensioner has been fixed in the manner indicated above, he will be allowed to draw normal increments as per the provisions of Rule 9 and 10 of RS (RP) Rules, 2016 read with Order 5 of the RS (Fixation of Pay of re-employed Pensioners) Orders, 1986 (circulated to Railways vide Railway Board's letter No. E(G) 86/EM1-8 dated 21.01.1987).

(ii) **Treatment of Military Service Pay (MSP):** MSP is granted to Defence Forces officers/personnel while they are serving in the Defence Forces. Accordingly, on their re-employment in civilian organizations, including

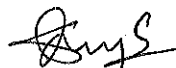
secret organizations under the Cabinet Secretariat umbrella, the question of grant of MSP to such officers/personnel does not arise. However, the benefit of MSP in the pension should not be withdrawn. **Accordingly, while the pension of such re-employed pensioners will include the element of MSP, they will not be granted MSP as part of pay while working in civilian organizations.** Also, in respect of all those Defence Officers/personnel, whose pension contains an element of MSP and whose pay on reemployment is subject to deduction of pension (excluding the ignorable portion, if any), the element of MSP as contained in the pension shall be ignored while deducting the pension at the time of pay fixation. In other words, the MSP portion of the pension need not be deducted from the pay fixed on re-employment.

(iii) Fixation/drawal of pay of re-employed persons who retired prior to 1.1.2016 and who have been re-employed after 1.1.2016, and whose entire pension and pensionary benefits are not ignored for pay fixation:

The pay on re-employment will be fixed in terms of Order 4(b)(ii) of the RS (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986, (circulated to Railways vide Railway Board's letter No. E(G) 86/EM1-8 dated 21.01.1987) as amended above, after notionally arriving at their revised basic pay at the time of retirement as if they had retired under the revised pay structure, in terms of Rule 7 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016. In all these cases, the non- ignorable part of the pension shall be reduced from the pay so fixed. Regulation of MSP, however, shall be as per clarification in para 8(ii) above.

(iv) Fixation/drawal of pay in all other cases: Pay fixation in cases not covered in Order 4(d) will be as per the general principle of 'pay minus pension', i.e. while the last pay drawn shall be reckoned for pay fixation, the entire pension shall be deducted from the pay so fixed. Regulation of MSP, however, shall be as per clarification in para 8(ii) above.

9. An undertaking may be obtained from re-employed pensioners who opt /are deemed to have opted for the revised pay structure to the effect that, they understand and agree that the special dispensation provided through this O.M. is subject to the condition of deduction of pension as admissible to them from time to time, wherever required as per extant instructions.
10. These instructions shall apply in respect of those re-employed pensioners who are re-employed against civil posts carrying pay upto Level 17 of the Pay Matrix of RS(RP) Rules, 2016.
11. These orders shall take effect from 1.1.2016.


(D. Joseph)
Dy. Dir. Estt.(Genl.)III
Railway Board

No.E(G)2017/EM 1-7

New Delhi, dated: 22.11.2017

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.


for **FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS**

No.E(G)2017/EM 1-7

New Delhi, dated: 22.11.2017

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 60 spares)
4. The Secretary General, FROA.
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association.
6. The President, Railway Board Group 'B' Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF.
8. The Secretary General, All India RPF Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
11. Railway Board Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), Gurgaon.
14. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.


for **Secretary, Railway Board**

1. The GM, N.F.Railway (Const.), CAOs, SR(Const.) and CR(Const.).
2. FA&CAO, All Indian Railways/PUs, NFR(Const.), SR(Const.) & CR (Const.).
3. The General Manager, RDSO, Lucknow.
4. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway, Kolkata.
5. The CAO and FA & CAO, COFMOW/New Delhi.
6. The General Manager and FA&CAO, CORE, Allahabad.
7. The Director General, National Academy of Indian Railways/Vadodara.
8. The CAO(Const.), MTP (R)/Mumbai.
9. The CAO(Const.), MTP (R)/Chennai.
10. The Director, CAMTECH, Gwalior-474020.
11. The Directors, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISSET/Secunderabad.

12. The Managing Directors/RITES, IRCON, IRFC, CONCOR, Executive Director/CRIS.
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi.
14. Chief Project Administrator (Telecom), IRCOT Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi.
15. The Director (Movement), Railways/Kolkata.
16. The Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
17. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence, New Delhi.
18. The Joint Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street/Kolkata
19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad, Bihar
20. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi
21. The Chairman, RCT/Delhi
22. The Chairman, RRT/Chennai
23. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secundrabad and Trivandrum.
24. The Editor, 'Bhartiya Rail' Room No. 469, Rail Bhawan, New Delhi.
25. The Editor 'Indian Railways', Room No. 411, Rail Bhawan, New Delhi.
26. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways Rly. Board, New Delhi.
27. The Genl. Secy./IRCA/State Entry Road, New Delhi.
28. The Commissioner, Railway Safety/Lucknow.
29. M/s Bahri Brothers, Lajpat Rai Market/Delhi.
30. The Editor, 'Rail Rajbhasha', Room No. 543, Rail Bhawan, New Delhi.
31. Rail Vikas Nigam Ltd., C-2/10, Safdarjang Development Area, Arbindo Marg, New Delhi.

Copy to:-

PSOs/Sr.PPSs/PPSs/PSs/Sr.PAs/PAs to:- MR, MSR(S), MSR(G) CRB, FC, MTr., ME, M(RS), MS, MT, DG(S&T), DG(Pers.), DG/RHS, DG/RPF, AM(C&IS), AM(F), AM(Plg.), AM(Staff), Adv(F), Adv(IR), Legal Adviser, Secretary, ED(A), EDF(BC), Adv.(CC), ED(C&IS), EDE, EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF(E), EDF(B), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDPC, EDV(A), JS, JS(G), JS(E), JS(C), Dir.(D), DS(G), JDF(E), JDPG, DE(N), Dir.(MPP), DPC-I, DPC-II, DE(GP), JDPC-I, JDPC-II, JDE(N), JDE(P&A), JDE(GC), JDE(Gaz.), DE(W), JDE(Res.) I, JDE(L), JDE(IR), JDE(G), DDF(E) I, II & III, DDPC-V, DDE(LR)II & III/Railway Board.

Branches : Accounts-III (with 10 spares), Budget, Budget (Com)I, Cash-I/II/III, Chasing, C&IS, E(P&A)II, ERB-I, ERB-II, ERB-III, ERB-IV, ERB-V, ERB-VI, E(LR)I/II/III, E(RRB), E(REP.)I/II/III, E(MPP), E(W), E(G), E(NG)I/II, E(SCT)I/II, E(D&A), F(E)I/II/III, F(E)Spl., Sec.(E) & Sec.(ABE), Railway Board.

Fixation of pay of persons re-employed in Railway Service consequent to implementation of 7th Pay Commission's recommendation – Summary.

The provisions of Railway Service (Revised Pay) Rules, 2016 shall apply to such persons also who were in/came into re-employment on or after 1st January, 2016, subject to the provisions given below. This decision will cover all Railway servants, who joined Railway Service on re-employment basis other than those employed on contract except where the contract provides otherwise, whether they have retired with or without a pension and/or gratuity or any other retirement benefits, e.g. contributory fund etc. from a civil post or from the Armed Forces.

2. Re-employed persons who become eligible to elect revised pay structure in accordance with these orders should exercise their option in the manner laid down in Rule 5 and 6 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016, within three months of the date of issue of these orders or in cases where the existing scales of pay of the posts held by them are revised subsequent to the issue of these orders, within three months of the date of such order.

3. In the case of persons retiring before attaining the age of 55 years and who are re-employed, pension (including PEG and other forms of retirement benefits) shall be ignored for pay fixation to the following extent:-

(a) In the case of ex-servicemen who held posts below Commissioned Officer rank in the Defence Forces and in the case of civilians who held posts below Group 'A' posts at the time of their retirement, the entire pension and pension equivalent of retirement benefits shall be ignored.

(b) In the case of Commissioned service officers belonging to the Defence Forces and Civilian pensioners who held Group 'A' posts at the time of their retirement, the first Rs. 15,000/- of the pension and pension equivalent retirement benefits shall be ignored.

(c) Ignorable part of pension is enhanced from Rs.4000/- to Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand) in the case of Commissioned Service Officers and Civil Officers holding Group 'A' posts who retire before attaining the age of 55 years.

Note: Pension is fully ignored means that pension is not deducted from pay.

Fixation/drawal of pay of Personnel/Officers re-employed prior to 01.01.2016 and who were in re-employment as on 01.01.2016:

4. (a) The initial pay of a re-employed Railway servant who retired with a pension or any other retirement benefit and whose pay on re-employment was fixed with reference to these benefits or ignoring a part

thereof, and who elects or is deemed to have elected to be governed by the revised structure from the 1st day of January, 2016 shall be fixed in accordance with the provisions contained in Rule 7 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016. Pension (excluding the ignorable portion of pension, if any), as defined in para 3(1) of RS (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986 (which was circulated to the Railways vide Railway Board's letter No.E(G) 1986/EM 1-8 dated 21.01.1987) admissible on relevant date, i.e. date of coming over to the revised pay structure, effective from 1.1.2016 or later, shall be deducted from his/her pay in accordance with the general policy of the Government on fixation and subsequent drawal of pay of re-employed pensioners.

(b) Where a re-employed Railway Servant elects to draw his/her pay in the existing pay structure and is brought over to revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2016, his/her pay from the later date in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of Rule 11 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 as given below:

"In the case of all employees – the pay in the applicable Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix."

Fixation/drawal of pay of employees appointed on re-employment basis on or after 1st day of January, 2016

5. Re-employed pensioners shall be allowed to draw pay only in the Level in the revised pay structure applicable to the post in which they are re-employed. No protection of the scales of pay/pay structure of the post held by them prior to retirement shall be given.

Note: Revised pay structure in relation to a post will be as defined in Rule 3(ix) of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.

6. In all cases where the pension is fully ignored, the initial pay on re-employment shall be fixed as per Rule 8 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 as given below:

"The pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1st day of January, 2016 shall be fixed at the minimum pay or the first Cell in the Level, applicable to the post to which such employees are appointed:

Provided that where the existing pay of such employee appointed on or after 1st day of January, 2016 and before the date of notification of these rules, has already been fixed in the existing pay structure and if his existing emoluments happen to exceed the minimum pay or the first Cell in the Level, as

applicable to the post to which he is appointed on or after 1st day of January, 2016, such difference shall be paid as personal pay to be absorbed in future increments in pay."

7. In cases where the entire pension and pensionary benefits are not ignored for pay fixation, the initial basic pay on re-employment shall be fixed at the same stage as the last basic pay drawn before retirement. If there is no such stage in the re-employed post, the pay shall be fixed at the stage next above that pay. If the maximum pay in the Level applicable to the post in which a pensioner is reemployed is less than the last basic pay drawn by him before retirement, his initial basic pay shall be fixed at such maximum pay of the re-employed post. Similarly, if the minimum pay in the Level applicable to the post in which a pensioner is reemployed is more than the last basic pay drawn by him before retirement, his initial basic pay shall be fixed at such minimum pay of the re-employed post. However, in all these cases, the non-ignorable part of the pension shall be reduced from the pay so fixed.

Note 1: Revised pay structure in relation to a post will be as defined in Rule 3(ix) of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.

Note 2: "Basic Pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix.

Note 3: Last pay drawn shall be as per definition of pre-retirement pay in terms of Order 3 of the RS (Fixation of Pay of re-employed Pensioners) Orders, 1986, (circulated to Railway vide Board's letter No.E(G)86/EM 1-8 dated 21.01.1987) read with DoPT OM No.3/19/2009-Estt.(Pay-II) dated 8th November 2010 (circulated to Railway vide Board's letter No.E(G)2013/EM 1-4 dated 24.07.2013)

8. The re-employed pensioner, in addition to pay as fixed above shall be permitted to draw separately any pension sanctioned to him and to retain any other form of retirement benefits.

Fixation/drawal of pay of re-employed persons who retired prior to 1.1.2016 and who have been re-employed after 1.1.2016, and whose entire pension and pensionary benefits are not ignored for pay fixation:

9. In cases where the entire pension and pensionary benefits are not ignored for pay fixation, the initial basic pay on re-employment shall be fixed at the same stage as the last basic pay drawn before retirement. If there is no such stage in the re-employed post, the pay shall be fixed at the stage next above that pay. If the maximum pay in the Level applicable to the post in which a pensioner is reemployed is less than the last basic pay drawn by him before retirement, his initial basic pay shall be fixed at such maximum pay of the re-employed post. Similarly, if the minimum pay in the Level applicable to the post in which a pensioner is reemployed is more than the last basic pay drawn by him before retirement, his initial basic pay shall be fixed at such

minimum pay of the re-employed post. However, in all these cases, the non-ignorable part of the pension shall be reduced from the pay so fixed.

10. **Fixation/drawal of pay in all other cases:** Pay fixation in cases not covered in Order 4(d) will be as per the general principle of 'pay minus pension', i.e. while the last pay drawn shall be reckoned for pay fixation, the entire pension shall be deducted from the pay so fixed. Regulation of MSP, however, shall be as per clarification in para 8(ii) of orders contained in Railway Board's letter No.E(G)/2017/EM 1-7 dated 22.11.2017.

UNDERTAKING

(to be given by persons who are on re-employment on or after 01.01.2016 and who have chosen/are deemed to have chosen to be governed by the RS (Revised Pay Rules), 2016 in terms of Department of Personnel & Training Office Memorandum No.3/3/2016-Estt.(Pay-II) dated 01.05.2017 (circulated to Railway vide Railway Boards letter No.E(G)2017/EM 1-7 dated 22.11.2017). (Para 9 of the letter No.E(G)2017/EM 1-7 dated 22.11.2017 refers)

I, ..., S/o, W/o, D/o Shri,
hereby undertake that I understand and agree that the special dispensation of pay fixation under the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 provided to me through the Letter No.E(G)2017/EM 1-7 dated 22.11.2017 is subject to the specific condition of deduction of pension as admissible to me from time to time, wherever required as per extant instructions.

Signature

Name

Designation

Date :

Place:

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई(जी)2017/ईएम 1-7

नई दिल्ली, दिनांक 22/11/2017

महाप्रबंधक

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं

उत्पादन इकाइयां

विषय: सेवानिवृत्ति के पश्चात रेल सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों, जिनका वेतन रेलवे प्राक्कलनों में डेबिट किया जाता हो, पर रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 का लागू होना।

रक्षा सेवाओं के कर्मिकों/अधिकारियों सहित रेल सेवा में पुनर्नियोजित होने पर पुनर्नियोजित पेंशनधारियों का वेतन निर्धारण कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 1986 के कार्यालय जापन सं. 3/1/85-इस्ट.(पे II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत जारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियोजित पेंशनधारियों का वेतन निर्धारण) आदेश, 1986 के अनुसार विनियमित किया जाता है। क्षेत्रीय रेलों को ये आदेश रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.01.1987 के पत्र सं. ई(जी)86/ईएमआई-8 के तहत परिपत्रित किए गए थे। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्ति के बाद रेल सेवा में पुनर्नियोजित पेंशनधारियों को रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 2(2)(vii) के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। अतः, उन पुनर्नियोजित कर्मचारियों को संशोधित वेतन नियमों का लाभ देने के प्रश्न और संशोधित वेतन संरचना में उनका वेतन निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। विधिवत् रूप से विचार-विमर्श करने के बाद, राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय करते हैं कि रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 2(2)(vii) में आंशिक संशोधन करते हुए, इन नियम के प्रावधानों को उन कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाएगा जिन्हें इसके बाद निहित आदेशों के अध्याधीन 1 जनवरी, 2016 को या उसके बाद पुनर्नियोजित किया गया। इस निर्णय में रेल सेवा में पुनर्नियोजित सभी रेल कर्मचारी आएंगे (जहां जहां संविदा का प्रावधान है, वहां संविदा पर पुनर्नियोजित कर्मचारियों को छोड़कर), चाहे वे पेंशन के साथ अथवा पेंशन और/या ग्रेच्युटी या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के साथ या उसके बिना जैसे कि किसी सिविल पद अथवा सशस्त्र बलों के अंशदायी निधि के साथ या उसके बिना सेवानिवृत्त हुए हों।

2. पुनर्नियोजित कर्मचारियों, जो इन आदेशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना चुनने के लिए पात्र हो जाते हैं, उन्हें इन आदेशों के जारी होने के तीन माह के भीतर अपना विकल्प (रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 5 और 6 में निर्धारित विधि से) देना चाहिए। बहरहाल, उनके द्वारा धारित पदों का मौजूदा वेतनमान यदि इन आदेशों के जारी होने के बाद संशोधित किया जाता है, तो संशोधन के लिए इन आदेशों की तारीख से तीन माह के भीतर उक्त विकल्प दिया जाना चाहिए।

3. 01.01.2016 से पूर्व पुनर्नियोजित और 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार पुनर्नियोजित कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निर्धारण/वेतन आहरण:

3(क) पुनर्नियोजित रेल कर्मचारी, जो 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना द्वारा वेतन निर्धारित करने का चयन करता है या चयनित माना जाता है, तो उसका आरंभिक वेतनमान रेल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2016 के नियम 7 के प्रावधानों द्वारा तब निर्धारित किया जाएगा यदि वह:

(i) एक ऐसा रेल कर्मचारी है, जो पेंशन, ग्रेच्युटी या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त किए बिना सेवानिवृत्त हो गया हो और

(ii) वह ऐसा सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी है, जो पेंशन या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता हो, परन्तु उसका पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारित करते समय स्वीकार न किया गया हो।

3(ख) किसी पुनर्नियोजित रेल कर्मचारी जो पेंशन अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के साथ सेवानिवृत्त हो गया हो और पुनर्नियोजन होने पर जिसका वेतनमान उन लाभों के अनुसार या उसके किसी हिस्से को छोड़कर निर्धारित किया गया हो, और जिन्होंने 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना द्वारा वेतन निर्धारण का चयन किया हो या उसे चयन किया हुआ माना गया हो, का आरंभिक वेतन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 7 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। रेल सेवा (पुनर्नियुक्त पेंशनधारियों का वेतन निर्धारण) आदेश, 1986 जिसे रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.01.1987 के पत्र सं. ई(जी)1986/ईएम1-8 के तहत रेलों को परिपत्रित किया गया था, के पैरा 3(1) में यथा निर्धारित 1.1.2016 या उसके बाद से प्रभावी संगत तारीख अर्थात् संशोधित वेतन संरचना के प्रभावी होने की तारीख को स्वीकार्य पेंशन, पुनर्नियोजित पेंशनधारियों के वेतन निर्धारण और उसके बाद वेतन आहरण से संबंधित सरकार की सामान्य नीति के अनुसार उसके वेतन से कटौती कर ली जाएगी।

3(ग) पुनर्नियोजित रेल कर्मचारी को इस प्रकार निर्धारित वेतन के अलावा सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होते रहेंगे, जो उसे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यथा संशोधित संशोधनपूर्व वेतनमानों में प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, जिसके संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए गए हैं।

3(घ) यदि पुनर्नियोजित रेल कर्मचारी अपना वेतन मौजूदा वेतन संरचना में प्राप्त करना चाहता है और उसे 1 जनवरी, 2016 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया गया है तो उसका वेतन संशोधित वेतनमान में बाद की तारीख से रेल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2016 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

4. इसके अलावा, पुनर्नियोजन होने पर वेतन और कुल पेंशन प्राप्त करने की ₹ 80,000/- की मौजूदा सीमा ₹ 2,25,000/- तक बढ़ा दी गई है, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 या रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अंतर्गत भारत सरकार के सचिव के लिए निर्धारित अधिकतम मूल वेतन है।

5. पेंशन की अनदेखी करने वाला भाग

राष्ट्रपति कमीशंड अधिकारियों और ग्रुप 'ए' पद वाले सिविल अधिकारियों जो 55 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं, के मामले में पेंशन की अनदेखी करने वाले भाग को भी सहर्ष ₹ 4000/- से बढ़ाकर ₹ 15000/- (पंद्रह हजार रुपए) करते हैं। अतः, उन पेंशनधारियों जिनका पुनर्नियोजन 1.1.2016 को या उसके बाद हुआ हो, के मामले में पुनर्नियोजित पेंशनधारियों का वेतन निर्धारित करने में सिविल और सैन्य पेंशनों की छोड़े जाने योग्य मौजूदा सीमा समाप्त हो जाएगी।

6. उन व्यक्तियों जो 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार, पहले से पुनर्नियोजित थे, के मामले में उपर्युक्त पैरा 2 के संदर्भ में उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार, नई वेतन संरचना में आने वाली तारीख अर्थात् 01.01.2016 या उसके बाद की तारीख से इन आदेशों के आधार पर वेतन निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे मामले में, उनकी शर्तें नए सिरे से निर्धारित की जाएंगी जैसेकि उनकी नई वेतन संरचना आने की तारीख से प्रथम बार पुनर्नियोजन किया गया हो।

7. 01 जनवरी, 2016 को या उसके बाद पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण/आहरण

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के तहत वेतन मैट्रिक्स प्रणाली आरंभ किए जाने के अनुसार, राष्ट्रपति रेल सेवा (पुनर्नियोजित पेंशनधारियों का वेतन निर्धारण) आदेश 1986 जिसे नीचे दर्शाई गई विधि से रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.01.1987 के पत्र सं. ई(जी)1986/ईएम1-8 के तहत रेलवे में परिपत्रित किया गया था, के संगत प्रावधानों में सहर्ष पुनः संशोधन करते हैं:-

मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 अप्रैल, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या (रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.12.2011 के पत्र सं. ई(जी)2010/ईएम 1-2(पार्ट) के तहत रेलों को परिपत्रित) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 31.07.86 का आदेश (रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.01.1987 के पत्र के तहत रेलों को परिपत्रित)	
पैरा 4(क): पुनर्नियोजित पेंशनधारियों को केवल उसी पद के निर्धारित वेतनमान/वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी जिस पद पर उनका पुनर्नियोजन हुआ है। सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पद से संबंधित किसी भी वेतनमान/वेतन संरचना की सुरक्षा नहीं दी जाएगी।	आदेश 4(क): पुनर्नियोजित पेंशनधारियों को केवल उसी पद के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना के लेवल में वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी, जिस पद पर उनका पुनर्नियोजन हुआ है। सेवा निवृत्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पद से संबंधित किसी भी वेतनमान/वेतन संरचना की सुरक्षा नहीं दी जाएगी।
नोट: रेल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत, संशोधित वेतन संरचना में उस पद से संबद्ध ग्रेड वेतन और लागू	नोट: किसी पद के संबंध में संशोधित वेतन संरचना वही होगी, जो रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 3(ix) में परिभाषित है।

वेतन बैंड शामिल है। पैरा 4(ख)(i): ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, वहां पुनर्नियोजन होने पर आरंभिक वेतन का निर्धारण उसी प्रकार होगा जैसे रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की प्रथम अनुसूची के खण्ड II, भाग क के तहत यथा अधिसूचित 1.1.2006 को या उसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों के मामले में लागू पुनर्नियोजित पद के संशोधित वेतन संरचना में प्रविष्टि वेतन में होता है।	आदेश 4(ख)(i): ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, वहां पुनर्नियोजन होने पर आरंभिक वेतन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। नोट 1: जिन मामलों में पेंशन को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, उसे नीचे आदेश 4(घ) में दिया गया है। नोट 2: पेंशन को पूर्ण रूप से हटा देने का अर्थ वेतन से पेंशन की कटौती नहीं की गई है।
पैरा 4(ख)(ii): ऐसे मामलों में जहां वेतन निर्धारित करने के लिए संपूर्ण पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ नहीं हटाए गए हैं, उनमें पुनर्नियोजन होने पर आरंभिक मूल वेतन का निर्धारण उसी स्तर पर होगा जिस स्तर पर सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम मूल वेतन प्राप्त किया गया था। बहरहाल, उसे पुनर्नियोजित पद का ग्रेड पे दिया जाएगा। अधिकतम मूल वेतन पुनर्नियोजित पद और 67000 रुपये के पे बैंड अर्थात् पे बैंड पीबी-4 में वेतन को जोड़कर प्राप्त राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। इन सभी मामलों में, पेंशन के उस भाग को इस प्रकार निर्धारित वेतन से घटा दिया जाएगा, जिसे हटाने योग्य नहीं होगा। उदाहरण: एक सेवानिवृत्त कर्नल जिसका मूल वेतन ₹ 61700/- (पे बैंड ₹ 53000/- पे बैंड में ग्रेड पे ₹ 8700/-) को किसी संगठन में ₹ 7600/- के ग्रेड पे में उप सचिव के रूप में पुनर्नियोजित किया जाता है। इस मामले में, पुनर्नियोजित किए जाने पर उसका मूल वेतन ₹ 61700/- बना रहेगा। बहरहाल, पुनर्नियोजन होने पर उसका ग्रेड पे ₹ 7600/- और पे बैंड में वेतन ₹ 54100/- होगा। उसके बाद, पेंशन का वह भाग जिसे हटाया नहीं जा सकता है, इस प्रकार निर्धारित वेतन से कम किया जाएगा।	पैरा 4(ख)(ii): ऐसे मामलों में जहां वेतन निर्धारित करने के लिए संपूर्ण पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ नहीं हटाए गए हैं, उनमें पुनर्नियोजन होने पर आरंभिक मूल वेतन का निर्धारण उसी स्तर पर होगा, जिस स्तर पर सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम मूल वेतन प्राप्त किया गया था। यदि पुनर्नियोजित पद पर ऐसा कोई स्तर न हो तो वेतन का निर्धारण उस वेतन के अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। यदि जिस पद पर पेंशनधारी को पुनर्नियोजित किया जाता है, उस पद के लिए लागू स्तर में अधिकतम वेतन उसके द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राप्त अंतिम मूल वेतन से कम हो तो उसका आरंभिक मूल वेतन का निर्धारण पुनर्नियोजित पद के अधिकतम वेतन में किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि जिस पद पर पेंशनधारी को पुनर्नियोजित किया जाता है, उस पद के लिए लागू स्तर में न्यूनतम वेतन उसके द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राप्त अंतिम मूल वेतन से अधिक हो तो उसका आरंभिक मूल वेतन का निर्धारण पुनर्नियोजित पद के न्यूनतम वेतन में किया जाएगा। बहरहाल, इन सभी मामलों में पेंशन का वह भाग जिसे हटाया नहीं जा सकता है, को इस प्रकार निर्धारित वेतन से घटा दिया जाएगा। नोट 1: किसी पद के संबंध में संशोधित वेतन संरचना रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016

नोट: संशोधित वेतन संरचना में, मूल वेतन उस पद से संबद्ध पे बैंड में वेतन और ग्रेड पे का जोड़ होगा।	के नियम 3(ix) में यथा परिभाषित होगी। नोट 2: संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" का अर्थ वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में प्राप्त वेतन से है। नोट 3: प्राप्त अंतिम वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 नवम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/19/2009-इस्ट.(पे-II) बोर्ड के दिनांक 24.07.2013 के पत्र सं. ई(जी)2013/इएम 1-4 के तहत रेलों को परिपत्रित) के साथ पठित रेल सेवा (पुनर्नियोजित पेंशनधारियों का वेतन निर्धारण) आदेश, 1986 के आदेश 3 के अनुसार (रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.1.1987 के पत्र सं. ई(जी)86/इएम 1-8 के तहत रेलों को परिपत्रित) सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन की परिभाषा के अनुसार होगा।
पैरा 4(ग): पुनर्नियोजित पेंशनधारी को पैरा (ख) में यथा निर्धारित वेतन के अलावा उसे स्वीकृत कोई भी पेंशन प्राप्त करने और किसी अन्य प्रकार का सेवानिवृत्ति लाभ बनाए रखने की अनुमति होगी।	आदेश 4(ग): कोई परिवर्तन नहीं।
पैरा 4(घ): 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पुनर्नियोजित किए गए कर्मचारियों के मामले में, आरंभिक वेतन निर्धारित करने के लिए पेंशन (पीईजी और सेवानिवृत्ति लाभों की अन्य किस्मों सहित) को निम्नलिखित सीमा तक हटा दिया जाएगा:- (i) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों, जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय रक्षा विभाग में कमिशन प्राप्त अधिकारी के पद से नीचे के पद पर थे और ऐसे पदाधिकारियों जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय पद ग्रुप "ए" पद से नीचे के पद पर थे, का संपूर्ण पेंशन एवं पेंशन के समकक्ष सेवानिवृत्ति लाभों को हटा दिया जाएगा। (ii) रक्षा सेवा के कमीशनप्राप्त सेवा अधिकारियों और सिविलियन पेंशनधारियों जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप "ए" पद पर थे, के	आदेश 4(घ): 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होने और पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में, निम्नलिखित सीमा तक आरंभिक वेतन निर्धारित करने के लिए पेंशन (पीईजी और सेवानिवृत्ति लाभों की अन्य किस्मों सहित) को हटा दिया जाएगा:- (i) कोई परिवर्तन नहीं। (ii) रक्षा सेवा के कमीशंड सेवा अधिकारियों और सिविलियन पेंशनधारियों जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप "ए" पदों पर थे, के मामले में,

मामले में, पेंशन एवं पेंशन के समकक्ष सेवानिवृत्ति लाभ के पहले ₹ 4000/- को घटा दिया जाएगा।	पेंशन एवं पेंशन के समकक्ष सेवानिवृत्ति लाभ के पहले ₹ 15000/- की अनदेखी की जाएगी।
---	--

8. उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित तथ्य भी स्पष्ट किए जाते हैं:-

(i) **वेतनवृद्धि का आहरण:** पुनर्नियुक्त पेंशनधारियों का उपर्युक्त विधि से एक बार आरंभिक वेतन निर्धारित हो जाने पर, उसे रेल सेवा (पुनर्नियोजित पेंशनधारियों का वेतन निर्धारण) आदेश, 1986 के आदेश 5 (रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.01.1987 के पत्र सं. ई(जी)86/ईएम 1-8 के तहत रेलों को परिपत्रित) के साथ पठित रेल सेवा (संशोधित नियम), 2016 के नियम 9 और 10 के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य वेतनवृद्धि प्राप्त करने की अनुमति होगी।

(ii) **सैन्य सेवा वेतन को गिना जाना (एमएसपी):** एमएसपी रक्षा विभाग के अधिकारियों को तब दिया जाता है जब वे रक्षा विभाग में कार्यरत होते हैं। तदनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आने वाले गुप्त संगठनों सहित सिविल संगठनों में उनका पुनर्नियोजन होने पर उन अधिकारियों/पदाधिकारियों को एमएसपी देने का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, पेंशन में एमएसपी का लाभ वापस नहीं लिया जाना चाहिए। तदनुसार, इस प्रकार पुनर्नियोजित पेंशनधारियों के पेंशन में एमएसपी का तत्व शामिल करते समय, सिविल संगठनों में कार्य करते हुए उन्हें वेतन के भाग के रूप में एमएसपी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, रक्षा विभाग के उन सभी अधिकारियों/कर्मिकों जिनके पेंशन में एमएसपी का तत्व होता है और जिनका पुनर्नियोजन होने पर वेतन का निर्धारण पेंशन (छोड़े जाने योग्य भाग, यदि कोई हो, को छोड़कर) की कटौती करके किया जाता है, उनके संबंध में पेंशन में यथा निहित एमएसपी का तत्व वेतन निर्धारित करते समय पेंशन की कटौती करते समय छोड़ दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, पेंशन के एमएसपी भाग को पुनर्नियोजन होने पर निर्धारित वेतन से कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) ऐसे पुनर्नियोजित व्यक्तियों का वेतन निर्धारण/आहरण करना जो 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त हो गए और जिन्हें 01.01.2016 के बाद पुनर्नियोजित किया गया और जिनका वेतन निर्धारित करने के लिए संपूर्ण पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभ नहीं हटाए गए हैं: पुनर्नियोजित होने पर वेतन का निर्धारण रेल सेवा (पुनर्नियोजित पेंशनधारियों का वेतन निर्धारण) आदेश, 1986 के आदेश 4(ख)(ii) (रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.01.1987 के पत्र सं. ई(जी)86/ईएम1-8 के तहत रेलों को परिपत्रित) में ऊपर किए गए यथा संशोधन के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय उनका अनुमानित: संशोधित मूल वेतन प्राप्त करने के बाद इस प्रकार किया जाएगा मानो उनकी सेवानिवृत्ति रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसार संशोधित वेतन संरचना के अंतर्गत हुई हो। इन सभी मामलों में, पेंशन का वह भाग जिसे हटाया नहीं जा सकता, इस प्रकार निर्धारित वेतन से घटा दिया जाएगा। बहरहाल, एमएसपी का विनियमन उपर्युक्त पैरा 8(ii) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार होगा।

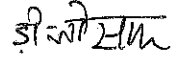
(iv) **अन्य सभी मामलों में वेतन का निर्धारण/आहरण:** आदेश 4(घ) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में वेतन का निर्धारण वेतन से पेंशन को घटाने के सामान्य सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् जब वेतन निर्धारण के लिए अंतिम आहरित वेतन की गणना की जाएगी तो इस प्रकार निर्धारित वेतन

से संपूर्ण पेंशन की कटौती कर दी जाएगी। बहरहाल, एमएसपी का विनियमन ऊपर पैरा 8(ii) दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार होगा।

9. पुनर्नियोजित पेंशनधारियों जिन्होंने संशोधित वेतन संरचना में विकल्प दिया है या उनके द्वारा विकल्प दिया गया माना गया है, उनसे इस संबंध में वचन लिया जाए कि वे यह समझते हैं और इससे सहमत हैं कि इस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से दी गई विशेष छूट इस शर्त के अधीन है कि जब कभी अपेक्षित हो, समय-समय पर उनके लिए यथा स्वीकार्य पेंशन मौजूदा अनुदेशों के अनुसार काट ली जाएगी।

10. ये अनुदेश उन सभी पुनर्नियोजित पेंशनधारियों के लिए लागू होंगे, जिनका पुनर्नियोजन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के पे मैट्रिक्स के लेवल 17 तक के वेतन वाले सिविल पदों के तहत है।

11. ये आदेश 1.1.2016 से प्रभावी होंगे।



(डी. जोसफ)

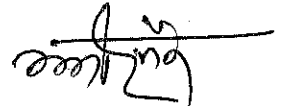
उप निदेशक स्था. (जी) III

रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी)2017/ईएम 1-7

नई दिल्ली, दिनांक 11/11/2017

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।



कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(जी)2017/ईएम 1-7

नई दिल्ली, दिनांक 11/11/2017

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 2) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 3) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 4) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ
- 5) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन
- 6) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ग्रुप बी ऑफिसर्स एसोसिएशन
- 7) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ
- 8) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इण्डिया आरपीएफ एसोसिएशन
- 9) सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन
- 10) सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन
- 11) रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन
- 12) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली

- 13) जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे इम्प्लाईज एसोसिएशन, (रजिस्टर्ड), गुडगांव
- 14) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ

नवीन 
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

1. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिण रेलवे (निर्माण) तथा मध्य रेलवे (निर्माण)
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), दक्षिण रेलवे (निर्माण) तथा मध्य रेलवे (निर्माण)
3. महाप्रबंधक, अ.अ.मा.सं./ लखनऊ
4. महाप्रबंधक तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, मेट्रो रेलवे/ कोलकाता
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कॉफमो/ नई दिल्ली
6. महाप्रबंधक तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कोर/ इलाहाबाद
7. महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज/वडोदरा
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), एमटीपी (आर), मुंबई
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), एमटीपी(आर), चेन्नई
10. निदेशक, कैमटैक/ग्वालियर - 474020
11. निदेशक, इरिसेन/पुणे, ईरीन/नासिक रोड, इरिमी/जमालपुर, इरिसेट/सिकन्दराबाद
12. प्रबंध निदेशक, राइट्स, इरकॉन, आईआरएफसी, कॉनकोर, कार्यपालक निदेशक, क्रिस
13. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कौकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड/नई दिल्ली
14. मुख्य परियोजना प्रशासक (दूरसंचार), इरकोट कंसल्टेंसी, शिवाजी ब्रिज/नई दिल्ली
15. निदेशक (संचलन), रेलें/कोलकाता
16. संयुक्त निदेशक (वित्त), अ.अ. एवं मा.सं., लखनऊ
17. संयुक्त निदेशक, मिल रेल, रक्षा मंत्रालय
18. संयुक्त सचिव, लोहा एवं इस्पात, 3 कोयला घाट स्ट्रीट/ कोलकाता
19. मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद, झारखण्ड
20. अध्यक्ष, आरसीसी, लोक सभा सचिवालय/नई दिल्ली
21. अध्यक्ष, आरसीटी/दिल्ली
22. अध्यक्ष, आरआरटी/चेन्नई
23. अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुम्बई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकन्दराबाद और त्रिवेन्द्रम
24. संपादक, 'भारतीय रेल', कमरा नं. 469, रेल भवन
25. संपादक, 'इंडियन रेलवे', कमरा नं. 411, रेल भवन
26. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
27. जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए, डीआरएम ऑफिस काम्प्लेक्स, स्टेट एन्ट्री रोड, नई दिल्ली
28. रेल संरक्षा आयुक्त/लखनऊ
29. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट/ दिल्ली
30. संपादक, "रेल राजभाषा", कमरा नं. 543, रेल भवन
31. रेल विकास निगम लिमिटेड, सी-2/10, सफदरजंग डिवेलपमेंट एरिया, अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-16.

डी. जोसफ
(डी. जोसफ)

उप निदेशक स्था (सा.)
रेलवे बोर्ड

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप रेल सेवा में पुनर्नियोजित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करना - संक्षिप्त विवरण

रेल सेवा (संशोधित वेतन) अधिनियम, 2016 के प्रावधान ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जो नीचे दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद पुनर्नियोजित हुए थे/सेवा में आए थे। यह निर्णय अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों, इसके अलावा जहां अनुबंध अन्यथा किया गया हो, को छोड़कर, रेल सेवा में पुनर्नियोजित के आधार पर पदभार ग्रहण करने वाले सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होगा, यदि वे सिविल पद अथवा सशस्त्र सेना से पेंशन और/अथवा उपदान अथवा अन्य किसी सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् अंशदायी निधि आदि के साथ अथवा उसके बिना सेवानिवृत्त हुए हों।

2. पुनर्नियोजित कर्मचारियों, जो इन आदेशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना को चुनने के लिए पात्र हो जाते हैं उन्हें इन आदेशों के अनुसार, इन आदेशों के जारी होने की तारीख के तीन माह के भीतर रेल सेवा (संशोधित वेतन) अधिनियम, 2016 के नियम 5 और 6 में निर्धारित पद्धति अथवा इन आदेशों के जारी होने के पश्चात् ऐसे आदेश जारी होने की तारीख के तीन माह के भीतर ऐसे मामले, जिनमें उनके द्वारा धारित पदों के वेतन के मौजूदा वेतनमान संशोधित किए गए हों, अपना विकल्प देना चाहिए।

3. 55 वर्ष की आयु को पूरा करने से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पुनर्नियोजित किए गए कर्मचारियों के मामले में वेतन का निर्धारण करने के लिए पेंशन (पीईजी और सेवानिवृत्ति लाभों की अन्य किस्मों सहित) को निम्नलिखित सीमा तक हटा दिया जाना चाहिए:-

(क) पूर्व सैनिकों, जिन्होंने रक्षा बलों में कमीशन अधिकारी स्तर के पदों से नीचे के पद पर कार्य किया हो और सिविल कर्मचारियों, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप 'ए' पदों से नीचे का पद धारित किया हो, के मामले में सम्पूर्ण पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के समकक्ष पेंशन को हटा दिया जाए।

(ख) रक्षा बलों से संबंधित कमीशन सेवा अधिकारियों और सिविल पेंशनरों, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप 'ए' का पद धारित किया हो, के मामले में पेंशन के पहले 15,000/- रुपए और पेंशन के समकक्ष सेवानिवृत्ति लाभों को हटा दिया जाए।

(ग) कमीशंड अधिकारी और ग्रुप 'ए' पद धारित सिविल अधिकारी, जो 55 वर्ष की आयु के पूरा होने से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, के मामले में पेंशन के अनदेखी किए जाने वाले भाग को 4000/- रुपए से बढ़ाकर 15,000/- रुपए (पन्द्रह हजार रुपए) कर दिया गया है।

नोट: पेंशन को पूरी तरह नज़रअंदाज का तात्पर्य है कि वेतन से पेंशन की कटौती नहीं की गई है।

01.01.2016 से पूर्व पुनर्नियोजित तथा 01.01.2016 को पुनर्नियोजित हुए कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निर्धारण/आहरण

4. (क) किसी पुनःनियुक्त रेलवे कर्मचारी, जो पेंशन अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुआ हो और पुनःनियुक्ति पर जिसका वेतन उन लाभों के अनुसार अथवा उसके किसी हिस्से

को छोड़कर निर्धारित किया गया हो तथा जिन्होंने 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना द्वारा वेतन निर्धारण का चयन किया हो या उसे चयन किया गया माना गया हो, का आरंभिक वेतन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 7 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। रेल सेवा (पुनः नियुक्त पेंशनरों का वेतन निर्धारण) आदेश, 1986 (जिसे बोर्ड के दिनांक 21.01.1987 के पत्र सं. ई(जी) 1986/ईएम 1-8 के तहत रेलों को परिपत्रित किया गया था) के पैरा 3(1) में यथा परिभाषित अनुमेय संबद्ध तारीख अर्थात् 1.1.2016 अथवा उसके बाद से प्रभावी संगत तारीख अर्थात् संशोधित वेतन संरचना के प्रभावी होने की तारीख से सरकार की सामान्य नीति के अनुसार पेंशन को पुनःनियुक्त पेंशनरों के वेतन निर्धारण और तदनुरूपी वेतन आहरण से उनके वेतन से कटौती की जाएगी।

(ख) जहां पर पुनः नियुक्त रेलवे कर्मचारी मौजूदा वेतन संरचना में वेतन लेने का विकल्प चुनता है और ये 1 जनवरी, 2016 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में ऊपर आता है तो उसका वेतन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित वेतनमान में बाद की तारीख से निर्धारित किया जाएगा, जैसा नीचे दिया गया है:

“सभी कर्मचारियों के मामले में- पे मैट्रिक्स में उपयुक्त लेवल में वेतन, 2.57 के फैक्टर द्वारा मौजूदा मूल वेतन को गुणा करके प्राप्त हुआ वेतन होगा जिसे निकटतम रूप तक पूर्णांकित किया जाएगा और इससे प्राप्त अंकों को पे मैट्रिक्स में उस लेवल में स्थापित किया जाएगा और यदि ऐसे समरूप अंक पे मैट्रिक्स के लागू लेवल में किसी सेल के समान है तो वही वेतन होगा, और लागू लेवल में ऐसा सेल न होने की स्थिति में पे मैट्रिक्स के लागू लेवल में उससे अगले उच्च सेल में वेतन का निर्धारण किया जाएगा।”

1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् पुनर्नियोजित के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण/आहरण

5. पुनः नियुक्त पेंशनरों को केवल उस पद पर, जिसमें उन्हें पुनःनियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन अवसंरचना के लेवल में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी। उन्हें सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान/वेतन संरचना के लिए कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

नोट: किसी पद के संबंध में संशोधित वेतन संरचना वही होगी, जो रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 3(ix) में परिभाषित है।

6. ऐसे सभी मामले जिनमें पेंशन को समग्रतः हटा दिया गया है, पुनः नियुक्ति पर आरंभिक वेतन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जैसा नीचे उल्लेख किया गया है:

“1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों का, न्यूनतम वेतन अथवा उस पद जिस पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है के लिए लागू लेवल के प्रथम सेल के अनुसार निर्धारित किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां ऐसे नियुक्त किए गए कर्मचारियों का वेतन, 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद और इन नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख से पूर्व मौजूदा वेतन अवसंरचना में पहले से ही निर्धारित

किया गया हो और कर्मचारी का मौजूदा पारिश्रमिक, न्यूनतम वेतन अथवा लेवल के प्रथम सेल से अधिक हो जाता है, जैसा 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद, उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू है, ऐसी विसंगतियों का निजी वेतन के रूप में भुगतान किया जाएगा, जिन्हें वेतन में भावी वेतनवृद्धियों में समाहित किया जाना है।”

7. ऐसे मामले, जिनमें वेतन का निर्धारण करने के लिए समग्र पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ को हटाया नहीं जाता है, तो पुनःनियुक्ति पर आरंभिक मूल वेतन का निर्धारण, सेवानिवृत्ति से पूर्व आहरित अंतिम मूल वेतन के समान स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। पुनःनियुक्त किए गए पद पर ऐसा स्तर न होने की स्थिति में, उस वेतन के अगले स्तर पर वेतन का निर्धारण किया जाएगा। यदि जिस पद पर पेंशनर को पुनः नियुक्त किया गया है, के लिए लागू लेवल में अधिकतम वेतन, सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन से कम हो जाता है तो उसका आरंभिक मूल वेतन पुनः नियुक्त किए गए पद के अधिकतम वेतन पर निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि जिस पद पर पेंशनर को पुनः नियुक्त किया गया है, के लिए लागू लेवल में न्यूनतम वेतन, सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन से अधिक हो जाता है तो उसका आरंभिक मूल वेतन पुनः नियुक्त किए गए पद के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जाएगा। बहरहाल, इन सभी मामलों में पेंशन का भाग जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती हो, को, ऐसे निर्धारित किए गए वेतन से घटा दिया जाएगा।

नोट 1: पद से संबंधित संशोधित वेतन संरचना, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 3(ix) में यथा परिभाषित होगी।

नोट 2: संशोधित वेतन संरचना में “मूल वेतन” का तात्पर्य पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में वेतन के आहरण से है।

नोट 3: अंतिम आहरित वेतन, डीओपीटी के दिनांक 8 नवम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3219/2009-एस्ट.(पे-11) (जिसे बोर्ड के दिनांक 24.07.2013 के पत्र सं. ई(जी)2013/ईएम 1-4 के तहत रेलों को परिपत्रित किया गया था) के साथ पठित रेल सेवा (पुनः नियुक्त पेंशनरों के वेतन का निर्धारण) आदेश, 1986 (जिसे बोर्ड के दिनांक 21.01.1987 के पत्र सं. ई(जी)86/ईएम 1-8 के तहत रेलों को परिपत्रित किया गया था) के आदेश 3 के अनुसार सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन की परिभाषा के अनुसार होगा।

8. पुनर्नियोजित पेंशनर को उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित किए गए वेतन के अलावा, उसे स्वीकृत किसी पेंशन का अलग से आहरण करने और सेवानिवृत्ति से संबंधित किसी अन्य प्रकार के लाभ को अपने पास रखने की अनुमति होगी।

पुनर्नियोजित कर्मचारी जो 1.1.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों और जो 1.1.2016 के बाद पुनर्नियोजित किए गए हों और जिनका वेतन का निर्धारण करने के लिए समग्र पेंशन और पेंशन संबंधी लाभों को हटाया नहीं गया हो, का वेतन निर्धारण/आहरण करना:

9. ऐसे मामले, जिनमें वेतन का निर्धारण करने के लिए समग्र पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ को हटाया नहीं जाता है, तो पुनःनियुक्ति पर आरंभिक मूल वेतन का निर्धारण, सेवानिवृत्ति से पूर्व आहरित अंतिम मूल वेतन के समान स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। पुनःनियुक्त किए गए पद पर ऐसा स्तर न होने की स्थिति में, उस वेतन

से अगले स्तर पर वेतन का निर्धारण किया जाएगा। यदि जिस पद पर पेंशनर को पुनः नियुक्त किया गया है, के लिए लागू लेवल में अधिकतम वेतन, सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन से कम हो जाता है तो उसका आरंभिक मूल वेतन पुनः नियुक्त किए गए पद के अधिकतम वेतन पर निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि जिस पद पर पेंशनर को पुनः नियुक्त किया गया है, के लिए लागू लेवल में न्यूनतम वेतन, सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन से अधिक हो जाता है तो उसका आरंभिक मूल वेतन पुनः नियुक्त किए गए पद के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जाएगा। बहरहाल, इन सभी मामलों में पेंशन का भाग जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती हो, को, ऐसे निर्धारित किए गए वेतन से घटा दिया जाएगा।

10. **अन्य सभी मामलों में वेतन का निर्धारण/आहरण:** आदेश 4(घ) के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए मामलों में वेतन का निर्धारण 'वेतन से पेंशन को घटाने' के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार किया जाएगा अर्थात् जब वेतन निर्धारण के लिए अंतिम आहरित वेतन की गणना की जाएगी तो ऐसे निर्धारित वेतन समग्र पेंशन को काट लिया जाएगा, बहरहाल, एमएसपी का विनियमन, रेलवे बोर्ड के 22.11.2017 के पत्र सं. ई(जी)/2017/ईएम 1-7 में निहित आदेशों के पैरा 8(ii) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार किया जाएगा।

वचनबद्धता

(उन व्यक्तियों द्वारा दिया जाना है जिनका 01.01.2016 को या उसके बाद पुनर्नियोजन हुआ है और जिन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2016-ईस्ट.(पे-II) (रेलवे बोर्ड के दिनांक 22/11/2017 के पत्र सं. ई(जी)2017/ईएम 1-7 के तहत रेलवे को परिपत्रित) के अनुसार रेल सेवा (संशोधित वेतन नियम), 2016 द्वारा शासित होने का चयन किया है या उन्हें चयन किया गया माना गया है)

(दिनांक 22/11/2017 के पत्र सं. ई(जी)2017/ईएम 1-7 के पैरा 9 का संदर्भ)

मैं पुत्र, पत्नी, पुत्री श्री
एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि मैं यह समझता/समझती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि दिनांक 22/11/2017 के पत्र सं. ई(जी)2017/ईएम 1-7 के माध्यम से रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अंतर्गत किया गया मेरा वेतन निर्धारण इस विशिष्ट शर्त के अध्वधीन है कि समय-समय पर मुझे यथा स्वीकार्य पेंशन, जब कभी अपेक्षित हो, मौजूदा नियमों के अनुसार, की कटौती कर ली जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक:

स्थान: